



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102022-239600
CG-DL-E-12102022-239600

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 12, 2022/आश्विन 20, 1944

No. 264]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2022/ASVINA 20, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2022

सं. 30/2015-2020

विषय : 'रसायन एवं संबद्ध उत्पाद' (उत्पाद कोड 'ए') के मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) में संशोधन: सिओन ए254, ए257, ए282, ए1939, ए1973, ए2061, ए2331, ए2539, ए2818, ए3056 और ए3486 को रोकने के संबंध में।

फा. सं. 01/82/171/00001/एम-23/डीईएस-III.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) में संशोधन करते हैं।

2. निर्यात मद के तदनुरूपी निम्नलिखित क्रम संख्याओं पर उल्लिखित मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) को तत्काल प्रभाव से रोका जाता है:

सिओन सं.	निर्यात उत्पाद
ए 254	गुआनिडीन नाइट्रेट
ए 257	हेक्सा हाइड्रोथायमोल/मंथोल बीपी/यूएसपी
ए 282	मैगनेशियम ग्लिसरोफॉस्फेट बीपीसी 63

ए 1939	टर्पीनिवल
ए 1973	डेल्टामिथ्रिन 2.8% डब्ल्यू/डब्ल्यू अथवा 2.5% डब्ल्यू/वीईसी (घनत्व 0.89 ग्रा./एमएल)
ए 2061	ऐरोमेटिक पॉलिस्टर पॉलीआल्स, अमीनो पॉलीओल्स का मिश्रण
ए 2331	सेफुरोक्साइम एक्सेटिल अमोरफस
ए 2539	मैक्स ग्लिसरीन 0.5% के साथ शुद्ध ग्लाइसेल मोनो स्टीयरेट
ए 2818	लैमीवुडीन
ए 3056	ट्रांस-4-अमीनो-साइक्लो हेक्सानोल
ए 3486	सिनेओल

3. ऊपर उल्लिखित निर्यात उत्पादों हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के इच्छुक निर्यातक प्रक्रिया पुस्तक खंड-I (2015-20) के पैरा 4.07 के तहत आवेदन कर सकते हैं।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

ए254, ए257, ए282, ए1939, ए1973, ए2061, ए2331, ए2539, ए2818, ए3056 और ए3486 पर यथा उल्लिखित मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) को तत्काल प्रभाव से रोका गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 12th October, 2022

No. 30 /2015-20

Subject: Amendment in Standard Input Output Norms (SION) of 'Chemical & Allied Product' (Product Code 'A'): Suspension of SIONs A254, A257, A282, A1939, A1973, A2061, A2331, A2539, A2818, A3056 and A3486

F. No. 01/82/171/00001/AM23/DES-III.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2015-20, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the amendments in the Standard Input Output Norms (SION).

2. The Standard Input Output Norms (SIONs) appearing at the following serial numbers corresponding to the export item are suspended with immediate effect:

SION No.	Export Product
A254	Guanidine Nitrate
A257	Hexahydrothymol/ Menthol BP/USP
A282	Magnesium Glycerophosphate BPC 63
A1939	Terpeneol
A1973	Deltamethrin 2.8% W/W or 2.5% W/VEC (Density 0.89 gm/ML)
A2061	Blend of Aromatic Polyester Polyols, Amino Polyols
A2331	Cefuroxime Axetil Amorphous
A2539	Pure Glyceryl Mono Stearate with max Glycerine 0.5%
A2818	Lamivudine
A3056	Trans-4-Amino-Cyclo Hexanol
A3486	Cineole

3. An exporter desirous of obtaining Advance Authorization for above mentioned export products may apply for it under Para 4.07 of Handbook of Procedures Vol. I (2015-20).

Effect of this Public Notice:

Standard Input Output Norms (SION) appearing at **A254, A257, A282, A1939, A1973, A2061, A2331, A2539, A2818, A3056 and A3486** are suspended with immediate effect.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.